

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2019/1138

दिनांक:- 24/2/19

### आदेश

संचालक मण्डल की 229वीं बैठक दिनांक 27.01.2016 के बिन्दु संख्या 229.21 में लिये गये निर्णयानुसार आवासीय अभियन्ता, खण्ड-तेरह, जयपुर के अधीन बनास विहार, टोंक आवासीय योजना में प्रस्तावित भूखण्डों की नीलामी के माध्यम से उप आवासन आयुक्त वृत्त तृतीय/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम की अनुशंसा के आधार पर नीलामी की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.स.	योजना का नाम	आवासीय भूखण्ड संख्या	आय वर्ग	क्षेत्रफल (वर्ग.मी.)
1	बनास विहार, टोंक	2/485	मध्यम आयवर्ग-अ	72.00
2	बनास विहार, टोंक	4/44-ए	मध्यम आयवर्ग-ब	189.00
3	बनास विहार, टोंक	4/44-बी	मध्यम आयवर्ग-ब	189.00

उप आवास आयुक्त वृत्त तृतीय/ अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता प्रथम यह सुनिश्चित कर लेवे कि आवासीय भू-खण्डों का निस्तारण निम्न शर्तों के आधार पर नीलामी से किया जावे:-

1. आवास आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है।
2. उक्त आवासों के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य आवास नीलामी हेतु रिक्त नहीं है।
3. उक्त आवासों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. प्रस्तावित आवासों में सुनिश्चित कर लिया जावे कि किसी भी प्रकार का विवाद/न्यायिक विवाद लम्बित नहीं है एवं विधिवत् निरस्त किये गये है।
5. अलग-अलग प्रस्तावों पर उक्त आवासों में से किसी भी आवास की स्वीकृति पूर्व में जारी की जा चुकी है तो तत्काल अद्योहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में लाकर नियमानुसार निरस्त करवाने के उपरान्त ही निस्तारण करें।
6. नीलामी से संबंधित सभी आदेशों की पालना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेशों को नोट शीट पैरा संख्या 5/एन पर माननीय आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

६०

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा0आ0म0, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, रा0 आ0 मा0, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबंधक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त -तृतीय, रा0आ0म0 जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड तेरह रा0आ0म0 जयपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।



मुख्य सम्पदा प्रबंधक